प्रारूप-II

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक-नि०प्रा०/नि० 01-03/2019 253 /पटना, दिनांक 13/02/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
बिहार।

विषय : **प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों (पैक्स) के निर्वाचन, 2019 हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार के पत्रांक 131 दिनांक 15.01.2019 द्वारा आपको सूचित किया गया है कि प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची पर संबंधित समिति के प्रबंधकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरांत ही मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को सौंपी जायेगी। उक्त बैठक के पर्यवेक्षण के लिए संबंधित प्रखंड के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है। उक्त पत्र की कंडिका- 5 के उप कंडिका- (i) में उल्लिखित है कि पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) के अनुमोदन द्वारा की जानी है। सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की प्रति संलग्न है।

विदित है कि प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों (पैक्स) का निर्वाचन इसी वर्ष देय है। निर्वाचन देय पैक्सों की स्वच्छ मतदाता सूची की तैयारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस हेतु प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2019 से 31.03.2019 की अवधि प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची पर प्रबंधकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि पैक्स के साथ-साथ विभिन्न सहकारी समितियों की मतदाता सूची तैयार करने हेतु प्रबंध समिति की बैठक में पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की उपस्थिति के संबंध में संबंधित प्रखंड के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु एक पैनल यथाशीघ्र तैयार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक: यथोक्त।

13.2.19

(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 253 /पटना, दिनांक 13/02/2019

प्रतिलिपि- सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संबंधित जिला पदाधिकारी से संपर्क कर पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर अनुमोदन प्राप्त कर लें। यह प्रतिनियुक्ति सभी सहकारी समितियों (पैक्स सहित) के लिए होगी।

13.2.19

संयुक्त सचिव।